

प्रश्न-संख्या के सिद्ध अनुसार है।

- ✓ यदि संस्थान का नाम (अभिलेखित) के अनुसार है तो प्रश्न-संख्या के अनुसार उत्तर देना है। (अभिलेखित नाम के अनुसार उत्तर देना है)।
- ✓ प्रश्न-संख्या के अनुसार उत्तर देना है।
- ✓ प्रश्न-संख्या के अनुसार उत्तर देना है।
- ✓ प्रश्न-संख्या के अनुसार उत्तर देना है।
- ✓ प्रश्न-संख्या के अनुसार उत्तर देना है।
- ✓ प्रश्न-संख्या के अनुसार उत्तर देना है।
- ✓ प्रश्न-संख्या के अनुसार उत्तर देना है।
- ✓ प्रश्न-संख्या के अनुसार उत्तर देना है।


 (प्रश्न-संख्या के अनुसार)

प्रश्न

पृष्ठ-संख्या: 01/08/2022

दिनांक 01/08/2022

पृष्ठ-संख्या

INSTITUTIONAL P INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY


 (प्रश्न-संख्या के अनुसार)

प्रश्न

संस्था के विनियमवली 2018 तथा इसके अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापकों के अनुपालन संबंधी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा वर्षीय हवी; पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष। दो वर्षीय अध्यापक पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम के अतिरिक्त); हेतु ₹0-12000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क वी प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जाएगा। अनुपालन के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में दण्ड-सत्र या शस्त्रा द्वारा निर्धारित किसे जाने वाले शक्यतः प्रमाणी होगी, और नदस्तावेज कावेवकी किया जाता अद्यतन होगा। वीर निर्धारण समिति द्वारा यदि सर 2021-22 हेतु वीर का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो वीर की नवीनतम ही लागू होगी।

- ✓ संस्था को 2000 पब्लिक शिक्षा विभाग द्वारा एक समितीय संस्थाओं की श्रेणी में अंतर्गत किया जाता विनियमवली 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में न्यूनतम प्रवेश परीक्षा परीक्षा प्रकार अनर्थात छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के विस्तार पर जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की आवश्यकता की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्धारित वास्तुश्रेष्ठ के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआरसीटीपीएनसीआईटी में आना ही तथा हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये विधिविधियों/अधिविधियों/आचारसंहिता/निर्देशों एवं निर्देशक, पब्लिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, न्यूनतम प्रवेश परीक्षा परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश पब्लिक शिक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश पब्लिक शिक्षा विभाग द्वारा किये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी एवं अध्यापक पाठ्यक्रमों के संस्थाएं यदि वे सी.आई. आई. वि.सी. में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विद्यार्थी रूप से विद्यार्थी की आवश्यकता के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पब्लिक शिक्षा परीक्षा, न्यूनतम प्रवेश परीक्षा परीक्षा, पब्लिक शिक्षा विभाग द्वारा एवं पब्लिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कहे गए द्वारा किया जाता है तथा-द्वारा वाद के संबंध में या स्थापना के द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेशों निर्धारित किया जाता है तो संस्था प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ विद्यार्थी एवं अध्यापक पाठ्यक्रम संस्थाएं करने वाली संस्थाओं को न्यूनतम प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश अकाउंट द्वारा किये गए के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु कठोरनिर्धारण करना होने के पूर्व वीरसीटीआईटी से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कावीकरण को उपलब्ध करना होगा अतः प्रवेश की (अनुमोदन) के सम्बन्ध में संस्था संस्था स्तर पर वीर वीर अनुमोदन नहीं करना ही जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित शर्तों/आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की वास्तविक स्थिति जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिकृति, गठन, सफलता, संस्था, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-परिचालन हेतु न्यूनतम वास्तुश्रेष्ठ उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक संस्था के सम्बन्ध में वास्तविक वास्तुश्रेष्ठ सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्येक वर्षीय पाठ्यक्रमों को चलाने वाले हेतु निर्धारित समिति के समक्ष उपलब्ध करावे गयी अधिविधियों, शर्तों-शर्त, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवाहक में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी आवश्यकता होती है कि संस्था उपरोक्त एवं प्रवेश किया उत्तर करने के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता सम्बन्ध किसे जाने की अनुमोदन की जायेगी।

संस्था के स्थायी निर्माण टीण्डल बरिे अस्था जे भूमि, अवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-संस्था
002010001001001001001001001001 के मातकानुसार अस्थाके नई बंधा जाता ई उी संस्था की संभवतः
स्थापन कर डी जावगी।

✓ संभवतः शाही का अनुयायन न किरी जरी अपन अरी नर उपसधन किरी जरी की दिशाती नर विषयानुसार
अनुशासनरसक साधेवाही की जावगी।

(सुनील कुमार सईसवर)

सचिव

पुपुपु- जतिपुपुपुपुपुपुपु 2021-01000-1000

दिनांक: 09/02/2021

पुपुपुपुपु-

पुपुपुपुपुपुपुपु J P INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING
TECHNOLOGY, POST-RAJPURA, NAWANA ROAD, MEERUT



(सुनील कुमार सईसवर)

सचिव